राजस्व विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शन पत्र –

1. पूर्व धारा 181–क से संबंधित – दिनांक 29.11.2018
2. पूर्व धारा 172 के लंबित अपील प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निर्देश ज्ञापन दिनांक 05.01. 2019
3. धारा 7 मण्डल की अधिकारिता से संबंधित ज्ञाप दिनांक 25.01.2019
4. पूर्व धारा 57(2) से संबंधित ज्ञाप दिनांक 28.01.2019
5. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक एवं भू–खण्ड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित, उपविभाजित या समामेलित करने संबंधी ज्ञाप दिनांक 26.02.2019
6. मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अधीन विकास योजना क्षेत्र में प्रभावशीलता के संबंध में निर्देश ज्ञापन दिनांक 13.03.2019
7. मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अधीन मांग कायमी के निर्देश ज्ञापन दिनांक 09.04.2019
8. दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 की समयावधि के राजस्व प्रकरण के पंजीयन हेतु वर्ष – दिनांक 15.10.2018
9. भूमि व्यपवर्तन हेतु निर्देश दिनांक 07.06.2019 जो कि राजपत्र दिनांक 14.06.2019 में प्रकाशित है।
10. धारा 59 के अधीन पुनर्निर्धारण के संबंध में निर्देश दिनांक 09.अक्टूबर, 2019
11. धारा 158 (3) एवं धारा 165 (7ख) के संबंध में दिशा निर्देश दिनांक 29.10.2019
12. धारा 107 के संबंध में मार्गदर्शन दिनांक 14.11.2019
13. ई दायरा पंजी के संबंध में दिशा निर्देश दिनांक 08.09.2020
14. ई समन जारी करने के संबंध में प्रक्रिया निर्देश दिनांक 08.09.2020
15. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के संबंध में निर्देश – इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा के विषय में – दिनांक 23.01.2021
16. अपील के मामलों में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के नामंजूरी आदेश के पुनरीक्षण ज्ञाप दिनांक 11.03.2019
17. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–अभिलेख एवं भू–सर्वेक्षण) नियम, 2020 के नियम 23 के अधीन भू–लेख पोर्टल को अधिकृत पोर्टल घोषित किया जाना। आदेश दिनांक 28.09.2020
18. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के सम्बंध में स्थायी निर्देश – 'इलेक्ट्रॉनिक सेवा संदेश' – दिनांक 23.01.2021

(21)

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 2-17/2018/सात/शा.7 /1174 भोपाल, दिनांक 29.नवम्बर, 2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 के संबंध में मार्गदर्शन बाबत् ।
संदर्भ: कलेक्टर जिला जबलपुर का पत्र क्रमांक 7018/अपर कले.शहर/2018 दिनांक 25.09.2018 ।

कलेक्टर, जिला जबलपुर के संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है:-

1. प्रकरण जिनमें आवेदक द्वारा संपरिवर्तन राशि जमा किये जाने के उपरांत राशि शासन के खाते में जमा कर दी गयी है क्या इनमें मात्र पट्टा विलेख तैयार किया जाना है?
2. प्रकरण जिनमें तहसीलदार/नजूल अधिकारी द्वारा जांच उपरांत प्रकरण निराकरण हेतु न्यायालय में प्राप्त हो चुके हैं।
3. प्रकरण जिनमें तहसीलदार/नजूल अधिकारी का प्रतिवेदन अपेक्षित है एवं इन प्रकरणों में 25 सितम्बर के पश्चात् क्या कार्यवाही की जावेगी?

2/ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में संशोधन अधिनियम, 2018 जो कि 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हो गया है वर्तमान में उक्त संहिता के अंतर्गत धारा 181-क निम्नानुसार है:-

> "181-क. फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमिस्वामी होगा- प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व भूमि में फ्री-होल्ड अधिकार रखता है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा।"

3/ अतएव् कंडिका-1 में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त प्रावधान के प्रवृत्त हो जाने से जिन प्रकरणों में जिनमें 25 सितम्बर, 2018 के पूर्व तक संपरिवर्तन आदेश पारित हो गये हैं और संपरिवर्तन प्रभा जमा हो गये हैं, उन प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य शेष लंबित प्रकरण जहाँ जिस स्थिति/स्तर पर हों, उसी स्तर प व्यपगत हो जायेंगे।

(1)

4/ ऐसे मामलों में जिनमें संपरिवर्तन आदेश पारित किए जा चुके है और संपरिवर्तन प्रभार जमा कर नियम 10 के अनुसरण में हस्तांतरण विलेख जारी कर पंजीकृत नहीं हो पाये हैं, ऐसे मामलों में तत्समय प्रवृ के नियम 10 के अंतर्गत हस्तांतरण विलेख जारी कर पंजीकरण की कार्यवाही के आधार पर फ्री-होल्डध जाकर संशोधित धारा '181-क' के प्रावधान अनुसार भूमिस्वामी के रूप में भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां द जाएं।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व वि
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर

पृ0क्रमांक एफ. 2-17/2018/सात/शा.7 /1175
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रमुख सचिव, 28/
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभ

2)

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 24/1408/2018/सात/शा–7 भोपाल, दिनांक 08 जनवरी, 2019

प्रति,

संभागायुक्त,
ग्वालियर संभाग,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन अधिनियम, 2018 के फलस्वरूप धारा 172 के लंबित अपील प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

संदर्भः संभागायुक्त ग्वालियर का पत्र कमांक क्यू./री–1/2018–19/2028 दिनांक 24 नवम्बर, 2018।

———

संभागायुक्त, ग्वालियर के संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप धारा 172 का विलोपन किये जाने से तत्समय, जब उक्त प्रावधान प्रभावशील रहे हैं, धारा 172 की उपधारा (4) के अंतर्गत कतिपय मामलों में अधिरोपित शास्ति के प्रकरणों, जो अपील स्तर पर आज विचाराधीन है, के संबंध में यह पृच्छा की गई है कि शास्ति अधिरोपण के मामले में पूर्व से प्रचलित अपील प्रकरणों में सुनवाई जारी की जायेगी या नहीं ?

2/ उक्त प्रश्न के संबंध में मध्यप्रदेश जनरल क्लॉजिज एक्ट, 1957 (कमांक 3 सन् 1958) की धारा 10 अवलोकनीय है, जो निम्नानुसार है :–

"Where any Madhya Pradesh Act repeals any enactment then, unless a different intention appears, the repeal shall not-

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or
(b) affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or
(c) affect any right, privilege, obligation or liability, acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or
(d) affect any penalty, forfeiture or punishment in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or
(e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty forfeiture or punishment may by imposed, as if the repealing Madhya Pradesh Act had not been passed."

3/ उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जिनमें प्रावधान निरसित हुए हैं, उनमें निरसन का प्रभाव नहीं होगा और वे सारी विधिक कार्यवाहियां उसी प्रकार चलती रहेंगी, मानों की ऐसे प्रावधान निरसित ही नहीं हुए हैं।

4/ अतः स्पष्ट किया जाता है कि संहिता के संशोधन अधिनियम, 2018 के पूर्व की धारा 172 की उपधारा (4) के अंतर्गत यदि शास्ति अधिरोपित की गई है और ऐसे मामले अपील में लंबित/विचाराधीन है, तो ऐसे अपील प्रकरण उसी प्रकार विचार में लिये जाएंगे तथा निर्णीत किये जाएंगे मानों की उक्त धारा 172 का विलोपन नहीं हुआ है।

31/1/19

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0कमांक 35/1408/2018/सात/शा–7 भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. आयुक्त, भू–अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ।

31/1/19

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 2–1/2019/सात/शा.7–56 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 2019

:: ज्ञापन ::

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (कमांक 23 सन् 2018) के द्वारा संशोधन किये गये हैं। संशोधन के पूर्व संहिता की धारा 7 निम्नानुसार रही है:–

> "मण्डल की अधिकारिता– (1) मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त किए गए है और वह राज्य सरकार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस संबंध में विनिर्दिष्ट करे तथा वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हो या प्रदत्त किए जाएं।
> (2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि वह अधिरोपित करना ठीक समझे, मण्डल को या मण्डल के किसी सदस्य को, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अतिरिक्त शक्तियॉ प्रदत्त कर सकेगी या ऐसे अतिरिक्त कृत्य सौंप सकेगी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेशित है।"

2/ संहिता में संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा किये गये संशोधनों के फलस्वरूप अब संहिता की धारा 7 निम्नानुसार है:–

> "मण्डल की अधिकारिता– मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन उसे प्रदत्त की गई है अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियमिति के अधीन अथवा उसके द्वारा उसे प्रदत्त किए गए हों या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।"

3/ संहिता की धारा 7 में किये गये संशोधन के प्रकाश में यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या मण्डल की अधिकारिता से, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त किये गये हैं, या प्रदत्त किये जाएंगे, बाहर हो गये हैं। जबकि विधिक स्थिति यह नहीं है। केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियॉ पूर्वानुसार अभी भी राजस्व मण्डल को प्राप्त है। इस संबंध में The General Clausess Act, 1897 (Act no 10 of 1897) की धारा 3 में दी गई परिभाषाओं में 'Chief Controlling Revenue Authority' या 'Chief Revenue Authority' की परिभाषा दी गई है, जो निम्नानुसार है:–

ORDER

"Chief Controlling Revenue Authority" or "Chief Revenue Authority" shall mean- In a state where there is a Board of Revenue, that Board in a state where there is a Revenue Commissioner, that Commissioner, in Punjab, the Financial Commissioner, and elsewhere, such authority as, in relation to matters enumerated in List 1 in the Seventh Schedule to the Constitution, the Central Government, and in relation to other matters, the State Government, may be notification in the Official Gazette, appoint."

4/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राजस्व मण्डल राज्य के लिये 'Chief Controlling Revenue Authority' या 'Chief Revenue Authority' है, अर्थात् यदि किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम में कोई कृत्य निर्वहन का दायित्व मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को सौंपा गया है तो ऐसा दायित्व निर्वहन यथापूर्व राज्य में स्थापित राजस्व मण्डल द्वारा ही किया जाएगा।

5/ उपरोक्त विधिक स्थिति यद्यपि स्पष्ट है तथापि जानकारी के लिये संप्रेषित है।

23/1/19

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 2–1/2019/सात/शा.7-9। भोपाल दिनांक 25 जनवरी, 2019

प्रतलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
3. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल,
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
5. शासन के समस्त विभाग,
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
7. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश,
8. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
9. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
10. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
11. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
12. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
13. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ORDER

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन

क्रमांक एफ. 16–64 / 2016 / सात / शा.2 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2019

:: ज्ञापन ::

1 / – मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक–20 सन् 1959) में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक–23 सन् 2018) के द्वारा संशोधन किये गये हैं। संशोधन के पूर्व संहिता की धारा 57 (2) निम्नानुसार रही है:–

> "जहाँ राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच उपधारा (1) के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहाँ ऐसा विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चिय किया जाएगा।"

2 / – मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम, 2018 के अंतर्गत संहिता की धारा 57 की उपधारा (2) विलोपित की गयी है। संहिता की धारा–57 की उपधारा (2) के विलोपन के बाद यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि उन मामलों का क्या होगा जो संहिता की धारा 57 (2) के अधीन संशोधन अधिनियम, 2018 के प्रभाव में आने की दिनांक को राज्य सरकार के समक्ष लंबित थे?

3 / सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अनुसार सिविल न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता है। संहिता की धारा 257 सहपठित धारा 57 की उपधारा (2) के कारण धारा 57 की उपधारा (1) के अंतर्गत उद्भूत विवाद के संबंध में सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित था, परन्तु धारा 57 की उपधारा (2) के विलोपन के उपरांत सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक हट गयी है और अब ऐसे विवादों का विनिश्चय सिविल न्यायालयों द्वारा किया जा सकेगा।

4 / – संहिता की धारा 57 की उप धारा (1) का परन्तुक किसी व्यक्ति के भूमि में के ऐसे अधिकारों को सुरक्षित करता हैं जो संहिता के प्रभावशील होने की तिथि को विद्यमान थे। धारा 57 की उपधारा (2) के द्वारा उक्त ऐसे अधिकारों के विषय के विवाद के विनिश्चय के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 57 की उपधारा (2) किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या विशेषाधिकार (right or privilege) प्रदान नहीं करती थी, वरन् मात्र विवाद के निपटारे के लिये एक प्रावधान करती थी। संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा धारा 57 की उपधारा (1) में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा किसी व्यक्ति के कोई अधिकार समाप्त नहीं किये गये हैं। अतः मध्यप्रदेश जनरल क्लाजिज एक्ट, 1957 (Madhya Pradesh General Clause Act, 1957) की धारा 10 के संदर्भ में–

(क) किसी अधिकार या विशेषाधिकार; या
(ख) ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार के विषय में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार

की कोई व्याप्ति (सेविंग्स) का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

Collector letter

धारा 57 की उपधारा (2) के विलोपन के फलस्वरूप केवल ऐसे अधिकारों के विषय में उद्भूत विवादों के विनिश्चय करने का राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार समाप्त किया गया है जो अब सिविल न्यायालयों में वेष्ठित है, जैसा कि ऊपर कण्डिका–3 मे स्पष्ट किया गया है।

5/ अतएव् ऐसे सभी मामले जो कि राज्य सरकार के समक्ष धारा 57 की उपधारा (2) के अंतर्गत लंबित है, क्षेत्राधिकार के अभाव में स्वतः समाप्त हो गये हैं।

23/1/19

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0एफ. 16–64/2016/सात/शा.2 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर।
5. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.शासन, भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Collector letter

प्र हार्ज रुपये 79,27,775=00 कुल राशि 8,72,05,524=00 (आठ करोड बहत्तर लाख पांच हजार पांच सौ चौबीस रुपया) होती है।

अतः ग्राम सिंहपुर की निजी भूमि रकवा कुल 263.991 हे. का अवार्ड प्रतिवेदन रुपए 7,92,77,749=00 (शब्दों सात करोड़ बानवे लाखसत्तर हजार सात सौ उनन्चास रूपये) का अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

अधिग्रहीत भूमि जल संसाधन विभाग म0प्र0 के नाम अधिग्रहण आदेशानुसार अभिलेख में प्रविष्टि संशोधन करना स्वीकृत करने हेतु आदेश किया जाना प्रस्तावित है ।

भू-अर्जन अधिकारी
नौगांव जिला छतरपुर (म0प्र0)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

Commr. Sir

कलेक्टर
जिला छतरपुर (म0प्र0)

(9)

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ2-4/2019/सात/शा.-7 भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2019.

<u>ज्ञापन</u>

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न संवर्गों के राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल में किया गया था, जिसमें कतिपय अधिकारियों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि संशोधन अधिनियम,2018 के पूर्व के प्रावधानों के अनुसार किसी भी खसरे का बटवारा होने की दशा में उसके एक से अधिक खंड निर्मित होने पर बंटाकन की कार्यवाही तत्कालीन धारा 70 में सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नक्रमांकित या उपविभाजित करने की शक्तियां बंदोबस्त अधिकारी को प्राप्त रही है, और बंदोबस्त अधिकारियों की ऐसी शक्तियां धारा 90 के अनुसार राजस्व संर्वेक्षण बंद हो जाने के बाद तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर को प्राप्त रही हैं। कलेक्टर की ऐसी शक्तियां मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त, 1968 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2543–6408–सात–ना–1 दिनांक 27 जून, 1968 के द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त रही हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा यह जानना चाहा गया है कि संशोधन उपरांत अब बंदोबस्त अधिकारी का पद अस्तित्व में नही है ऐसी स्थिति में संर्वेक्षण संख्यांको को पुर्नक्रमाकित या उपविभाजित करने की शक्ति का प्रयोग किस राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है?

2/ उल्लेखनीय है कि संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा संशोधन के पूर्व के संहिता के अध्याय 7 एवं 8 के स्थान पर नया अध्याय– 7 प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 68 में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू–खण्ड संख्यांक को पुर्नक्रमांकित करने या उपविभाजित या समामेलित करने की शक्ति जिला सर्वेक्षण अधिकारी को प्रदत्त है, आगे धारा 76 में यह प्रावधान किया गया है कि भू–सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में, अध्याय–7 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर करेगा ।

3/ मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1957) की धारा 25 निम्नानुसार हैः–

"**25. Continuation of orders etc, issued under enactments repealed and re-enacted.**-Where any enactment is repealed and re-enacted by a Madhya Pradesh Act with or without modification, then, unless it is otherwise expressly provided, any appointment, notification, order, scheme, rule, regulation, form or bye-law made or issued under the repealed enactment shall, so far as it is not inconsistent with the provisions re-enacted, continue in force, and be deemed to have been made or issued under the provision so re-enacted, unless and until it is superseded by any appointment, notification, order, scheme, rule, regulation, form or bye-law made or issued under the provisions so re-enacted.

जनरल क्लाजेज एक्ट के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम, [illegible] संशोधन के प्रभाव में जिला बंदोबस्त अधिकारी की

10

जो शक्तियां बंदोबस्त अवधि के दौरान कलेक्टर को प्रदत्त रही है और अब यह कार्य बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर जिला सर्वेक्षण अधिकारी को सौंपा गया है तथा जिला सर्वेक्षण अधिकारी की यह शक्तियां, जो ऐसे क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अधीन नही है, में कलेक्टर को प्राप्त हैं। स्पष्ट है कि संशोधन से पूर्व की धारा 70 की शक्तियां संशोधन उपरांत प्रतिस्थापित धारा 68 के अनुसार कलेक्टर को प्राप्त हैं।

इसी प्रकार तत्कालीन धारा 70 के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27 जून, 1968 जो कि राजपत्र दिनांक 30 अगस्त, 1968 में प्रकाशित है, के अनुसार कलेक्टर की उपरोक्त शक्तियां तहसीलदार को सौंपी गयी मानी जाएंगी।

4/ उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक उक्त अधिसूचना दिनांक 27 जून, 1968 किसी उत्तवर्ती अधिसूचना के द्वारा अधिकमित नही कर दी जाती, तब तक उक्त अधिसूचना, यथोचित परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*), प्रभाव में रहेगी और पालनीय होगी, अर्थात् सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू–खण्ड संख्यांक को पुनर्कमांकित करने या उपविभाजित करने या समामेलित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां ऐसे क्षेत्रों में जो भू–सर्वेक्षण के अधीन नही है, में कलेक्टर को प्राप्त होने और उक्त अधिसूचना के अनुकम में तहसीलदार को सौंपी गयी होने के कारण तहसीलदार को प्राप्त है और यह कार्य ऐसे क्षेत्रों में तहसीलदार के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5/ उपरोक्त विधिक स्थिति यद्यपि स्पष्ट है तथापि जानकारी के लिये संप्रेषित है।

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 2–12../2018/सात/शा..7... भोपाल,दिनांक 13/3/2019

ज्ञापन

कतिपय जिलों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी स्थानीय निकाय के लिये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत 'विकास योजना' तैयार की जाकर प्रभावशील है और ऐसे स्थानीय निकाय के क्षेत्र से उसकी विकास योजना का क्षेत्र अधिक है अर्थात् स्थानीय निकाय के बाहरी सीमा से लगे हुए क्षेत्र में विकास योजना प्रभावशील है तो भूमि के उपयोग में व्यपवर्तन किये जाने की दशा में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार कौन सी दरें प्रभावशील होंगी?

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में स्थानीय निकाय की अपनी सीमाओं के अतिरिक्त ऐसे स्थानीय निकाय के लिये प्रभावशील विकास योजना के समस्त क्षेत्र में, चाहे वे स्थानीय निकाय की सीमाओं से बाहर स्थित हों और भले ही ऐसे क्षेत्र किसी अन्य स्थानीय निकाय की सीमा में आते हों, उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे स्थानीय निकाय की दरें लागू होंगी जिसके लिये ऐसी विकास योजना अधिसूचित है।

3/ उक्त स्थिति को निम्न उदाहरण से इस प्रकार समझा जा सकता है कि सागर नगर पालिक निगम के लिये सागर नगर हेतु अधिसूचित विकास योजना क्षेत्र निगम के क्षेत्र से अधिक में विस्तारित है और ऐसे विस्तारित क्षेत्र में नगर पालिका परिषद मकरोनिया का क्षेत्र भी आता है, ऐसे मामले में नगर पालिका परिषद मकरोनिया क्षेत्र के उस भाग, जो सागर नगर हेतु अधिसूचित विकास योजना क्षेत्र में स्थित है, में भूमि के व्यपवर्तन के मामले में वही दरें लागू होंगी जो सागर नगर पालिक निगम के लिये प्रभावशील हैं।

4/ उपरोक्त विधिक स्थिति यद्यपि उक्त नियमों के नियम 3, 5 एवं 7 के अंतर्गत अनुसूची एक एवं अनुसूची दो की सारणी– 1 से लेकर सारणी– 4 में स्पष्ट है तथापि जानकारी की स्पष्टता के लिये संप्रेषित है।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 2–12/2018/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2019

प्रति,

जिला कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम 2018 के तहत भू–राजस्व का निर्धारण एवं मांग कायमी।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 140 के प्रावधानों के अनुसार किसी वर्ष के लिए देय भू–राजस्व उस वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन शोध्य हो जाएगा। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रवृत्त होने के दिनांक अर्थात 25 सितम्बर, 2018 को देय भू–राजस्व का बकाया 1 अप्रैल, 2019 के पूर्व संदेय होगा।

2. कंडिका 1 में उल्लेखित प्रावधान का तात्पर्य यह है कि राजस्व वर्ष 2017–2018, जो कि 1 अक्टूबर, 2017 से प्रारंभ होकर 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त होना था और इस अवधि के दौरान 'राजस्व वर्ष' के प्रारंभ होने की तिथि में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2–9/2018/सात/शा.6 दिनांक 7 सितम्बर, 2018 द्वारा परिवर्तन कर अब 'राजस्व वर्ष' के प्रारंभ की तिथि '1 अप्रैल' अधिसूचित की गयी है, इसके कारण अब राजस्व वर्ष 2017–18 को 1 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2019 को समाप्त समझा जाएगा और इस प्रकार आगामी राजस्व वर्ष 2019–2020 के प्रारंभ की तिथि 1 अप्रैल, 2019 तथा समाप्ति की तिथि 31 मार्च, 2020 होगी।

3. दूसरे शब्दों में इसे ऐसे समझा जाए कि विगत राजस्व वर्ष 2017–18 की कुल अवधि दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2019 मानी जाएगी और इस अवधि को 'एक राजस्व वर्ष' की अवधि मानते हुए, इस अवधि के लिए 'एक राजस्व वर्ष' हेतु देय भू–राजस्व ही देय हुआ समझा जाएगा।

4. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) एवं (चार) के साथ पठित धारा 59 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग

(14)

989

में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–12–2018 –सात–शा.6 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 जो कि राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित है, इस विषय पर पूर्व में बनाये गये समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुये मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम, 2018 बनाये गये एवं प्रभावशील किये गये।

5. उक्त नियमों के नियम 3 अनुसार भू–राजस्व का निर्धारण नियमों की अनुसूची–एक के अनुसार विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाना अपेक्षित है। जिन भूमियों का 25 सितम्बर, 2018 के पूर्व निर्धारण किया गया है, उनका उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार आगामी राजस्व वर्ष (जो कि अधिसूचना क्रमांक 2–9/2018/सात/शा.6 दिनांक 7 सितम्बर, 2018 द्वारा अप्रैल के प्रथम दिन को अर्थात 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ हुआ है) के लिये अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट दरों पर स्वतः निर्धारण हो जायेगा।

6. यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषिक प्रयोजन में उपयोग में लाई जा रही भूमियों अर्थात कृषि भूमियों के मामले में उक्त अनुसूची–एक में उल्लेखित अनुसार निर्धारण वही रहेगा जो कि ऐसी भूमियों के लिये 1 अप्रैल, 2019 के पूर्व निर्धारित रहा है अर्थात कृषि भूमियों के निर्धारण पर अनुसूची–एक के अनुसार पुनर्निधारण किये जाने के परिणामस्वरूप कोई प्रभाव नहीं आयेगा। कृषि भिन्न प्रयोजनों में उपयोग में लाई जा रही भूमियों का निर्धारण दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से अनुसूची एक के अनुसार स्वतः पुनर्निधारित किया गया समझा जायेगा।

7. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कंडिका–1 में उल्लेखित नियमों के नियम 3 मे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार ऐसी भूमियों के संबंध में कोई भू–राजस्व देय नही होग जो धारा 245 के अधीन भू–राजस्व से मुक्त हैं अथवा संहिता की धारा 58 के अधीन भू–राजस्व के दायित्व से मुक्त हैं अर्थात राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा के द्वारा ऐसे दायित्व से पूर्णतः या भागतः छूट प्राप्त है अथवा राज्य सरकार द्वार जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 2–9/2018/सात/शा.6 दिनांक 7 सितम्बर, 2018 के द्वार भू–राजस्व के दायित्व से मुक्त हैं या धारा 58 क के अधीन छूट प्राप्त हैं।

उल्लेखनीय है कि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2–9/2018/सात/शा.6 दिनांक 7 सितम्बर, 2018 के द्वारा ग्रामों में दो सौ वर्गमीटर तक के भू–खण्ड जो आवासी प्रयोजन के उपयोग में है, या 40 वर्गमीटर तक के भू–खण्ड जो वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग में है तथ ऐसे भू–खण्ड किसी विकास योजना की सीमा से बाहर स्थित हैं के संबंध में कोई भू–राजस्व देय नही होगा।

8. भू–अभिलेखों में कृषि भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लाई जा रही व्यपवर्तित भूमियों का अनुसूची–एक में विहित दरों के आधार पर भू–राजस्व का पुनर्निधारण कर यथाशीघ्र अंकित किया जाना है।

9. उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार यदि भू–राजस्व का भुगतान नियत कालावधि में नही किया जाता है तो बकाया पर प्रथम बारह मास के लिये बारह प्रतिशत और उसके पश्चात् की अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, भुगतान की तिथि तक, देय होगा। उपरोक्तानुसार पुनर्निधारण कर भू–राजस्व की उगाही का कार्य भी प्रारंभ किया जाकर दिनांक 30 जून, 2019 तक उगाही का कार्य पूर्ण किया जाये।

10. उपरोक्त प्रावधानों के अनुक्रम में समस्त भूमिस्वामियों को उनके द्वारा धारित कृषिक प्रयोजन अथवा कृषिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमियों के लिए देय भू–राजस्व की उगाही के लिए मांग कायम की जाकर 30 जून, 2019 तक भू–राजस्व की उगाही की जाए अन्यथा संबंधितों द्वारा संहिता की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार दाण्डिक ब्याज के साथ बकाया भुगतान किया जाना होगा।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृष्ठांकन कमांक 2–12/2018/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल
2. आयुक्त भू–अभिलेख मध्यप्रदेश, ग्वालियर
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर
4. सचिव, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश
6. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग

की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन

कमांक एफ–2–9 / 2018 / सात / शा.6 भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः 01 अक्टूबर, 2018 से 31.03.2019 तक की समयावधि में राजस्व प्रकरण के पंजीयन हेतु वर्ष।

संदर्भः विभाग की अधिसूचना एफ 2–9 / 2018 / सात / शा.6 दिनांक 07 सितम्बर, 2018।

संदर्भित विभाग की अधिसूचना का कृपया अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत विभाग की अधिसूचना कमांक 5259–290–सात–एन–नियम दिनांक 30 मई, 1960 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अप्रैल के प्रथम दिन को राजस्व वर्ष प्रारम्भ होने के दिन के रूप में नियत किया गया है।

2/ राजस्व न्यायालयों में संधारित होने वाले दायरा पंजी (रजिस्टर) में राजस्व प्रकरणों के पंजीयन हेतु 01 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 6 माह की समयावधि राजस्व वर्ष 2018–19 निर्धारित की जाती है। 01 अप्रैल, 2019 से विभाग की उपरोक्त अधिसूचना के अनुकम में राजस्व वर्ष प्रारम्भ होने के लिए दिनांक नियत की गयी है अतएव् दिनांक 01.04.2019 से राजस्व प्रकरणों का पंजीयन वर्ष 2019–20 के लिए होगा।

3/ आर.सी.एम.एस. साफ्टवेयर में भी प्रविष्टि हेतु उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश प्रभावशील होंगे।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0कमांक एफ–2–9 / 2018 / सात / शा.6 भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019—ज्येष्ठ 24, शक 1941

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

~~अंतिम नियम~~

निर्देश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ—2—12—2018—सात—शा.7.— भोपाल, दिनांक 7 जून, 2019

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन हेतु निर्देश.

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 एवं 60 के अधीन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-चार, दिनांक 28 सितम्बर 2018 को प्रकाशित किये जा चुके हैं। उक्त नियमों के अधीन निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व जमा कराने की प्रक्रिया- (देखें नियम 10(2))
भूमिस्वामी/आवेदक भूमि के व्यपवर्तन की सूचना के साथ प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि शासकीय कोषालय में जमा करा कर उसके चालान की प्रति संलग्न करेगा। इस हेतु कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख की वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in या आर.सी.एम.एस. पोर्टल http://rcms.mp.gov.in पर प्रीमियम की गणना तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि की गणना एवं भूमि व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था उपलब्ध है। कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख की वेबसाइट को सायबर ट्रेजरी पोर्टल से सम्बद्ध किया जा चुका है, फलतः प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि आवेदक द्वारा भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शासकीय कोषालय में जमा करायी जा सकती है।

2. आवेदक को पावती के प्रदाय की प्रक्रिया-(देखें नियम 11)

(1) भूमिस्वामी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में व्यपवर्तन की सूचना नियम 11 में विहित प्ररूप-एक में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन की सूचना तत्काल पोर्टल पर दर्ज की जायेगी और भूमिस्वामी को निर्धारित प्ररूप-एक के भाग-दो में पावती पोर्टल से प्रिंट कर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यपवर्तन की सूचना भूलेख पोर्टल अथवा आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की स्थिति में पावती ऑनलाइन जनरेट की जायेगी जिसका प्रिंटआउट आवेदक द्वारा लिया जा सकेगा। चूंकि प्रिंटआउट ऑनलाइन जनरेट किया जा रहा है, अतः ऑनलाइन पावती पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन पावती पर रेफरेंस नम्बर एवं क्यूआर कोड अंकित होगा। इस रेफरेंस नम्बर अथवा क्यूआर कोड से व्यपवर्तन की सूचना को भूलेख पोर्टल से सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार भूलेख पोर्टल https://mpbhulekh.gov.in अथवा आर.सी.एम.एस.पोर्टल http://rcms.mp.gov.in से जारी ऑनलाइन पावती मान्य होगी।

(19)

व्यपवर्तन स्कैच (अक्स) का निर्माण एवं जमा करने की प्रकिया: (देखें नियम 12)

(1) आवेदक जिस भूमि को व्यपवर्तित कराना चाहता है उस भूमि को राजस्व नक्शे (Cadastral Map) पर स्पष्ट रूप से चिन्हित करेगा। नक्शे पर व्यपवर्तित होने वाली भूमि का सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक एवं ग्राम, पटवारी हल्का/ सेक्टर, तहसील व जिले का नाम भी अंकित होना आवश्यक होगा।

(2) यह संभव है कि व्यपवर्तन स्कैच में एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक सम्मिलित हों क्योंकि व्यपवर्तित की जा रही भूमि एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक का भू-भाग हो सकती है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 59 की उपधारा (6) के अंतर्गत प्रेषित की जा रही व्यपवर्तन की सूचना में व्यपवर्तित किये जा रहे सभी संख्यांकों का उल्लेख किया जायेगा।

(3) जहां किसी सर्वेक्षण संख्यांक की सम्पूर्ण भूमि व्यपवर्तित की जा रही हो, वहां उस भूमि के राजस्व नक्शे पर उस सर्वेक्षण संख्यांक को पूर्णरूपेण व्यपवर्तित दर्शाया जायेगा।

(4) यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक का अंश भाग व्यपवर्तित किया जाना है, वहां उस अंश भाग को राजस्व नक्शे पर स्पष्ट रूप से सीमाएं दर्शाते हुए चिन्हित किया जाकर उस अंश भाग का क्षेत्रफल एवं व्यपवर्तन के प्रयोजन का उल्लेख किया जायेगा।

(5) ऐसे प्रकरणों में जहां भूमि का व्यपवर्तन *एक से अधिक* प्रयोजन हेतु किया जा रहा है और वह भूमि किसी विकास योजना (Development plan) की सीमा में स्थित है, व्यपवर्तन स्कैच (अक्स) किसी लेआउट के रूप में जिसमें रोड, भू-खण्ड, बाग-बगीचा इत्यादि को चिन्हित किया गया है तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसे व्यपवर्तन स्कैच को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया गया हो। ऐसे व्यपवर्तन स्कैच को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत व्यपवर्तन की सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(6) अलग-अलग श्रेणी के प्रकरणों में यथा 500 वर्गमीटर या उससे अधिक के मामले में 1/4000 और 500 वर्गमीटर से कम के मामले में 1/1000 वर्गमीटर के पैमाने (स्केल) में व्यपवर्तन स्कैच निम्नानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे:

(क) संहिता की धारा 59 की उपधारा (6) के अंतर्गत भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत की जा रही व्यपवर्तन की सूचना के साथ व्यपवर्तन स्कैच प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) नियम 16 के उपनियम (1) के अंतर्गत पटवारी या नगर सर्वेक्षक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन के साथ व्यपवर्तन स्कैच प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) नियम 16 के उपनियम (2) के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिन प्रकरणों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही की जा रही है, व्यपवर्तन स्कैच पटवारी या नगर सर्वेक्षक अथवा किसी 'उपयुक्त व्यक्ति' से तैयार कराया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 'उपयुक्त व्यक्ति' से तात्पर्य है सेवानिवृत्त पटवारी, नगर सर्वेक्षक, अनुरेखक, राजस्व निरीक्षक, तथा स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद/ यंत्री हैं

(7) व्यपवर्तन स्कैच का उदाहरण अनुलग्नक-1 एवं व्यपवर्तन स्कैच का प्ररूप अनुलग्नक-2 में संलग्न है।

4. **व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया: (देखें नियम 13)**

भूमिस्वामी से 'व्यपवर्तन की सूचना' प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 59 के अंतर्गत मद अ-2 में राजस्व प्रकरण दर्ज किया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा शासन को देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना कर संगणित राशि की तुलना व्यपवर्तन की सूचना में वर्णित व जमा प्रीमियम एवं भू-राजस्व की राशि से की जाकर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

(1) यदि जमा की गयी प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भूराजस्व की राशि सही है, तब अनुलग्नक-3 में व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि / आदेश जारी किया जायेगा।

(2) यदि जमा की गयी प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि नियमानुसार संगणित देय राशि से कम है, तब अनुलग्नक-4 में अंतर की राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया जायेगा।

(21)

(3) यदि जमा की गयी प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि नियमानुसार संगणित देय राशि से अधिक है और -

(क) भूमिस्वामी अंतर की राशि वापिस चाहता है तो नियम 14 के उपनियम (2) के अंतर्गत अंतर की राशि वापसी हेतु आदेश अनुलग्नक-3 में जारी किया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर संबंधित तहसील के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा फार्म एमपीटीसी-44 पर क्लेम तैयार किया जायेगा जिसमें निम्न जानकारियां होना अनिवार्य होंगी -

(एक) भूमिस्वामी का नाम

(दो) वापिसी से संबंधित वर्ष

(तीन) वापिस की जाने वाली राशि

(चार) मूल जमा राशि का चालान क्रमांक एवं दिनांक

(पाँच) भूमिस्वामी के बैंक अकाउंट का विवरण

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा यह देयक (एमपीटीसी-44) कोषालय में जमा किया जायेगा तथा रिफन्ड पेमेंट एडवाईस (Refund payment advice) की एक हस्ताक्षरित प्रति संबंधित कोषालय अधिकारी को भुगतान करने हेतु प्रेषित की जायेगी। संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा वापिसी योग्य राशि का भुगतान भूमिस्वामी के बैंक खाते में ई-भुगतान से अंतरित की जायेगी।

(ख) वापिस की जाने वाली राशि भूमि के 10 वर्ष के भू-राजस्व के बराबर या उससे कम होने पर उपखण्ड अधिकारी संबंधित भूमिस्वामी को यह विकल्प देगा कि भूमिस्वामी राशि वापिस चाहता है अथवा भू-राजस्व के अग्रिम जमा के रूप में राशि के समायोजन का इच्छुक है। यदि संबंधित भूमिस्वामी अग्रिम भू-राजस्व जमा में समायोजन चाहता है तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश अनुलग्नक-3 में, इस टिप्पणी के साथ कि भूमिस्वामी ने वापिस की जाने वाली राशि भू-राजस्व के अग्रिम के रूप में समायोजित करने का विकल्प चुना है, जारी किया जायेगा तथा तहसीलदार को संसूचित किया जायेगा जो संबंधित पटवारी/नगर सर्वेक्षक से भूमिस्वामी के खाते में अग्रिम भू-राजस्व के समायोजन संबंधी टीप अंकित करने हेतु नोट करायेगा।

(22)

5. भू-अभिलेख में संशोधन

(1) जिन प्रकरणों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी की संतुष्टि है कि व्यपवर्तन की सूचना विधि सम्मत दी गयी है और व्यपवर्तित की जाने वाली भूमि का प्रीमियम एवं भू-राजस्व की राशि नियम 13 के अनुसार जमा की गयी है, उपखण्ड अधिकारी अनुलग्नक-3 में भू-अभिलेख में संशोधन हेतु आदेश जारी करेगा।

(2) ऐसे प्रकरणों में जहां उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियम 13 के उपनियम (2) के अंतर्गत प्रीमियम एवं भू-राजस्व की अंतर की राशि जमा करने हेतु संबंधित भूमिस्वामी को सूचना पत्र जारी किया गया है और संबंधित भूमिस्वामी द्वारा राशि जमा करा दी गयी है, उपखण्ड अधिकारी अनुलग्नक-3 में भू-अभिलेख में संशोधन हेतु आदेश जारी करेगा।

(3) यदि किसी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियम 13 के उपनियम (2) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार तीस दिवस की अवधि में व्यपवर्तन की सूचना के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो "उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अध्यधीन" टीप अंकित करते हुए तहसीलदार द्वारा भू-अभिलेख अद्यतन कराया जायेगा जो उपखण्ड अधिकारी के आदेश की प्राप्ति पर तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

6. पूर्व सूचना दिये बिना भूमि को व्यपवर्तित करने से संबंधित प्रकरणों की प्रक्रिया: (देखें नियम 16(2))

(1) उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित भूमिस्वामी को प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व तथा दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के पश्चात के प्रकरणों में शास्ति एवं देय ब्याज (यदि कोई हो) की कुल देय राशि जमा करने हेतु सूचना/मांग-पत्र अनुलग्नक-5 में जारी किया जायेगा।

(2) ऐसे प्रकरणों में, जिनमें भूमिस्वामी द्वारा सूचना/मांग-पत्र प्राप्ति के उपरांत भूमि का प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के पश्चात के प्रकरणों में शास्ति एवं देय ब्याज (यदि कोई हो) सहित कुल देय राशि जमा करा दी गयी है, उपखण्ड अधिकारी भू-अभिलेख में संशोधन हेतु तहसीलदार को निर्देशित करेगा।

(3) ऐसे प्रकरणों में जिनमें भूमिस्वामी द्वारा सूचना/मांग-पत्र प्राप्ति के उपरांत आपत्ति/उत्तर प्रस्तुत किया गया है अथवा एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई है, उनमें यथोचित जॉच उपरांत उपखण्ड अधिकारी विवेचना सहित आदेश पारित करेगा और पारित आदेश अनुसार देय राशि की वसूली एवं भू-अभिलेख में संशोधन हेतु तहसीलदार को निर्देशित करेगा।

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

व्यपवर्तन स्कैच (अक्स) (उदाहरण)

व्यपवर्तित क्षेत्र के नक्शे की प्रति

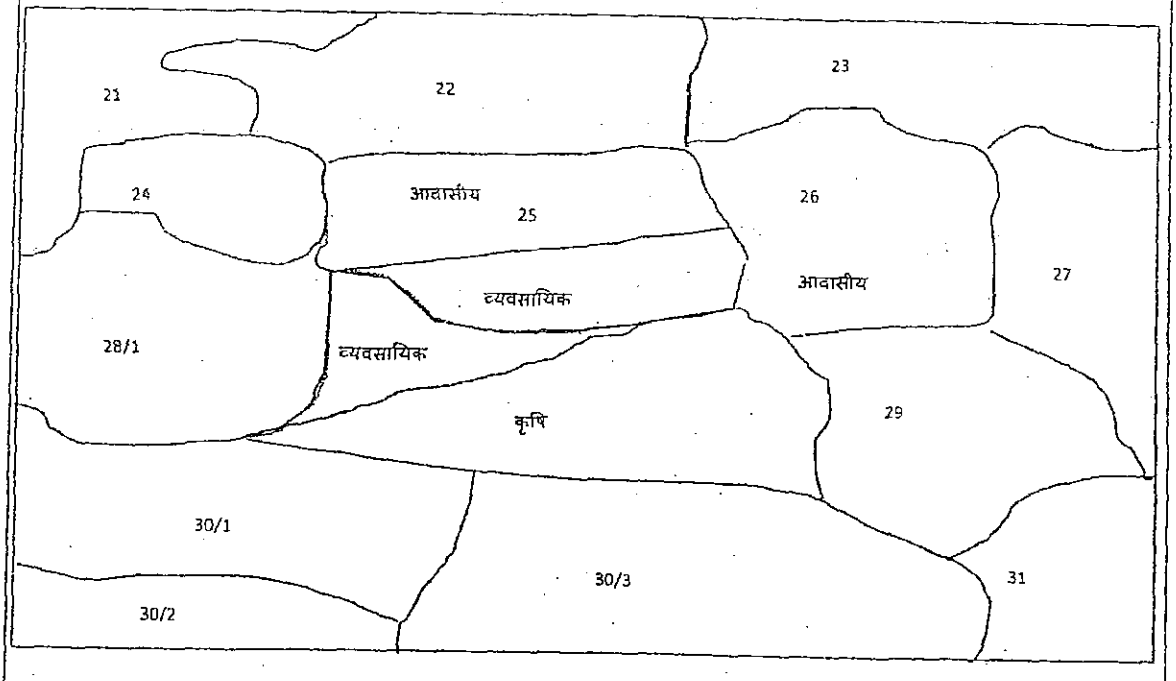

जिला	तहसील	रा.नि.मंडल	पटवारी हल्का	ग्राम/ सेक्टर	नक्शे का पैमाना

स.क्र.	सर्वेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्रफल (हे.)	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (व.मी.)
1	25	1.3	कृषि	आवासीय	0.7
				व्यवसायिक	0.6
				कुल	1.3
2	26	1.4	कृषि	आवासीय	1.4
				कुल	1.4
3	28/2	1.36	कृषि	व्यवसायिक	0.6
				कृषि	0.76
				कुल	1.36
भूमिस्वामी :			आवेदक का नाम एवं पता- abcde		
			सूचना क्रमांक- 8912312		
			सूचना दिनांक- dd/mm/yyyy		
आवेदक के हस्ताक्षर					

अनुलग्नक-2
(नियम 12 देखें)

व्यपवर्तन स्कैच (अक्स)

व्यपवर्तित क्षेत्र के नक्शे की प्रति

जिला	तहसील	रा.नि.मंडल	पटवारी हल्का	ग्राम/ सेक्टर	नक्शे का पैमाना

स.क्र.	सर्वेक्षण संख्यांक	कुल क्षेत्रफल (हे.)	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (व.मी.)

भूमिस्वामी :	आवेदक का नाम एवं पता- सूचना क्रमांक- सूचना दिनांक-
आवेदक के हस्ताक्षर	

25

1000

अनुलग्नक-3
(नियम 13 एवं 14 देखें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-.....जिला .....

राजस्व प्रकरण क्रमांक-

भूमिस्वामी का नाम, माता/पिता/पति का नाम.....

पता.....

आवेदक (यदि भूमिस्वामी से भिन्न है तो) के विवरण .....

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

---व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि/आदेश-----

(दिनांक-.....)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 के अंतर्गत श्री ..... (भूमिस्वामी का नाम व पता)..... द्वारा दिनांक ..... को ग्राम/सेक्टर -..... पटवारी हल्का ..... राजस्व निरीक्षक मण्डल..... नगरीय निकाय..... तहसील..... जिला..... स्थित नीचे तालिका में दिए गये विवरण की भूमि के व्यपवर्तन की सूचना प्रस्तुत की गयी है। उसके द्वारा चालान क्रमांक.....दिनांक.....राशि..... रूपये से जमा किये गये प्रीमियम एवं वार्षिक पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की राशि के विवरण तालिका-1 अनुसार है, न्यायालय द्वारा की गयी संगणना का विवरण तालिका-2 अनुसार है और अंतर की राशि के विवरण तालिका-3 अनुसार है।

तालिका – 1 : आवेदक द्वारा संगणित एवं जमा की गई राशि का विवरण

भवेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+ 11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

तालिका – 2 : न्यायालय द्वारा संगणित की गई राशि का विवरण

...ण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+ 11+1...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

तालिका–3: अंतर की राशि के विवरण

सं.क्र.	विवरण	आवेदक द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	न्यायालय द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	अंतर की राशि जो जमा की जाना शेष है (रूपये में)	अंतर की राशि जो वापिस की जाना है (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रीमियम राशि				
2	वार्षिक पुनर्निर्धारित भू-राजस्व				
3	वार्षिक पंचायत उपकर (यदि देय हो तो)				
4	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)				
5	योग				

2/- एतदद्वारा, व्यपवर्तित भूमि पर देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित वार्षिक भू-राजस्व की गणना सही है एवं गणना अनुसार राशि जमा की जा चुकी है अतः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत व्यपवर्तन की सूचना में उल्लेखित गणना की पुष्टि की जाती है।

या

एतदद्वारा, उक्त नियम के नियम 13 के उपनियम (2) एवं 14 के उपनियम (1) के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका-3 के स्तम्भ (5) में दर्शाये अनुसार अंतर की कुल राशि रूपये .....(शब्दों में.....) की सूचना भूमिस्वामी/आवेदक को दी गई। भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा अंतर की उक्त राशि चालान क्रमांक .....दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी है अतएव् व्यपवर्तन की गणना की पुष्टि की जाती है।

या

एतदद्वारा, व्यपवर्तित भूमि का प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित वार्षिक भू-राजस्व की जमा राशि, न्यायालय की गणना अनुसार एक वर्ष हेतु निर्धारित राशि से अधिक जमा की गई है अतः उक्त नियम के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत व्यपवर्तन की गणना की पुष्टि करते हुए तालिका-3 के स्तम्भ (6) में दर्शाये अनुसार अधिक जमा की गई कुल राशि रूपये.....(शब्दों में.....) है, तथा भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा दी गई सहमति के अनुसार राशि रूपये.....(शब्दों में.....) को आवेदित भूमि हेतु देय भू-राजस्व के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में समायोजित किया जाये।

अथवा

एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि तहसील का आहरण एवं संवितरण अधिकारी भूमिस्वामी/आवेदक द्वारा जमा की गयी अधिक राशि को उसे, उसके द्वारा दिए गये खाते के विवरण, जो कि नीचे दर्शाये जा रहे हैं, में अंतरित करते हुए वापिस करे:-

1.	राशि जमा किये जाने का चालान क्रमांक और दिनांक		
2.	वापसी से संबंधित वर्ष		
3.	वापस दी जाने वाली राशि	अंको में- शब्दों में-	
4.	जिस व्यक्ति को राशि वापस दी जा रही है, उसके बैंक खाते का विवरण	खाता धारक का नाम	
		बैंक तथा शाखा का नाम	
		बैंक खाता नंबर	
		IFSC कोड	

3/- तहसीलदार आदेश के पालन में संबंधित भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन करायें और समायोजन की दशा में समायोजित राशि का भी अभिलेख में उल्लेख करे।

दिनांक

न्यायालय की सील

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड का नाम)
(जिले का नाम)

टिप्पणी:- कंडिका 2 में से जो अंश लागू न हों, उन्हें काट दें ।

(27)

1002

अनुलग्नक-5
(नियम 16 देखें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-.....जिला .....

राजस्व प्रकरण क्रमांक-..... दिनांक-.....

प्रति,
.....
.....
..... (भूमिस्वामी/अनावेदक के विवरण)

मध्यप्रदेश शासन
विरूद्ध
भूमिस्वामी का नाम, माता/पिता/पति का नाम.....
पता.....

---- सूचना / मांग-पत्र----

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम/सेक्टर..... पटवारी हल्का.....राजस्व निरिक्षक मंडल..... नगरीय निकाय.....तहसील.....जिला..... स्थित नीचे तालिका-1 में दिये गये विवरण की भूमि विधिवत सूचना दिये बिना/त्रुटिपूर्ण सूचना देते हुए व्यपवर्तित की गई है।

तालिका – 1 : स्थल पर पाई गई व्यपवर्तित भूमि के विवरण और उस पर देय प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की जानकारी

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रुपये में)	कुल प्रीमियम (रुपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रुपये में) (5x8)	कुल योग (रुपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रुपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रुपये में)	महायोग (रुपये में) (10+11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2/- आपके द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई व्यपवर्तन की सूचना नहीं दी है।

या

~~आपके~~ द्वारा दी गई व्यपवर्तन की सूचना के विवरण नीचे तालिका-2 अनुसार हैं, जो त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं।

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रुपये में)	कुल प्रीमियम (रुपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रुपये में) (5x8)	कुल योग (रुपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रुपये में)	शाला विकास कर (यदि देय हो तो) (रुपये में)	महायोग (रुपये में) (10+11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

3/- उपरोक्त कंडिका-1 एवं कंडिका-2 के विश्लेषण के आधार पर अंतर की राशि रूपये.....(शब्दों में रूपये.....) आपके द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है। चूंकि आपके द्वारा व्यपवर्तन की विधिवत सूचना नहीं दी गई है/त्रुटिपूर्ण दी गई है, इस कारण संहिता की धारा 59 की उपधारा (9) के अनुसार उक्त अंतर की राशि के अतिरिक्त उस पर 50% शास्ति राशि के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है।

(25)

1003

4/- अतएव आपको सूचित किया जाता है कि क्यों न आपसे उक्त अंतर की राशि एवं उस पर शास्ति और विधि अनुसार देय ब्याज की राशि वसूल की जाये। आप दिनांक..... समय..... बजे इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता यों विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक

न्यायालय की सील

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड का नाम)
(जिले का नाम)

टिप्पणी:- कंडिका 2 एवं कंडिका 3 में जो अंश लागू न हों, उन्हें काट दें ।

(29)

1004

अनुलग्नक-4
(नियम 13 एवं 14 देखें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड-.....जिला .....

राजस्व प्रकरण क्रमांक- दिनांक .....

प्रति,
.....
.....
..... (भूमिस्वामी/आवेदक के विवरण)

भूमिस्वामी का नाम, माता/पिता/पति का नाम.....
पता.....
आवेदक (यदि भूमिस्वामी से भिन्न है तो) के विवरण
.....

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

----सूचना पत्र----

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) के अंतर्गत श्री ..... (भूमिस्वामी का नाम व पता) द्वारा दिनांक ..... को ग्राम/सेक्टर ..... पटवारी हल्का ..... राजस्व निरीक्षक मण्डल..... नगरीय निकाय..... तहसील..... जिला..... स्थित नीचे तालिका में दिए गये विवरण की भूमि के व्यपवर्तन की सूचना प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा चालान क्रमांक.....दिनांक.....राशि..... रूपये से जमा की गई राशि का विवरण तालिका-1 अनुसार है, न्यायालय द्वारा की गयी संगणना का विवरण तालिका-2 अनुसार है और अंतर की राशि के विवरण तालिका-3 अनुसार हैं।

तालिका – 1 : आवेदक द्वारा संगणित एवं जमा की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शासा विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

तालिका – 2 : न्यायालय द्वारा संगणित की गई राशि का विवरण

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तित प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल प्रीमियम (रूपये में) (5x6)	भू-राजस्व प्रति वर्ग मीटर	कुल भू-राजस्व (रूपये में) (5x8)	कुल योग (रूपये में) (7 + 9)	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	शासा विकास कर (यदि देय हो तो) (रूपये में)	महायोग (रूपये में) (10+11+12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

30

1005

तालिका–3: अंतर की राशि के विवरण

सं.क्र.	विवरण	आवेदक द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	न्यायालय द्वारा संगणित राशि (रूपये में)	अंतर की राशि जो जमा की जाना शेष है (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रीमियम राशि			
2	वार्षिक पुनर्निर्धारित भू-राजस्व			
3	वार्षिक पंचायत उपकर (यदि देय हो तो)			
4	शाला विकास कर (यदि देय हो तो)			
5	योग			

एतद्द्वारा उक्त नियम के नियम 14 के उपनियम (1) के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका-3 के अनुसार अंतर की राशि रूपये..... (शब्दों में.....) इस सूचना पत्र की प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर जमा कर इस न्यायालय को सूचित करे।

दिनांक .....

न्यायालय की सील

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड का नाम)
(जिले का नाम)

(31)

1006

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 2–12/2019/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के संबंध में।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि–

1. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक–1 के प्रावधानों अंतर्गत पट्टे (लीज) पर आवंटित भूमि के मामले में लीज की शर्तों अनुसार भूमि उपयोग तथा प्रव्याजि व भू–भाटक निर्धारित होता है। अतः लीज प्रकरणों में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 अंतर्गत निर्धारण दरें लागू नहीं होती हैं।
2. कतिपय प्रकरणों, जिनमें निजी भूमि अर्जित कर किसी संस्था को दी गई है, तो ऐसी भूमि संबंधित संस्था के भूमिस्वामी स्वत्व में धारित होगी तथा ऐसी भूमि के मामले में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के प्रावधान, तत्समय भूमि अर्जन संबंधी विधि/प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रभावशील होंगें।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ. 2–12/2019/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 9..अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की टीप क्र. 1218/तैंतीस/2019 दि. 27.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, भू–अभिलेख, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

1007

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-14/2019/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 29. अक्टूबर, 2019

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(3) एवं 165(7-ख) के संबंध में दिशा निर्देश।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158 (3) निम्नानुसार हैं:-

"(3)प्रत्येक व्यक्ति--

(एक) जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व मंजूर किये गये किसी पट्टे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, और

(दो) जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमिस्वामी अधिकार में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी समझा जायेगा और उन समस्त अधिकारों, दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा और तत्पश्चात् ऐसी भूमि का अंतरण, धारा 165 की उपधारा (7-ख) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करके कर सकेगा।"

2/ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(7-ख) निम्नानुसार हैः-

"(7-ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा।"

निरंतर.....
-2-

3/ उपरोक्त संहिता की धारा 158(3) एवं 165(7-ख) से स्पष्ट है कि पट्टे पर प्राप्त भूमि पट्टेदार द्वारा पट्टे या आवंटन की तारीख को दस वर्ष की समयावधि के भीतर विक्रय/अंतरण नहीं किया जा सकेगा। दस वर्ष के बाद संहिता की धारा 165 की उपधारा (7-ख) के अंतर्गत ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा से, जिसमें विक्रय के कारणों का उल्लेख रहेगा, के बिना अंतरण नहीं किया जायेगा।

4/ अतएव स्पष्ट किया जाता है कि **ऐसे मामलों में जिनमें भूमि के धारक संहिता की धारा 158 की उपधारा (3) के भूमिस्वामी हैं** और उन्हें भूमि के आवंटन की दिनांक से दस वर्ष की अवधि का अवसान हो चुका है तथा अब वे अपनी भूमि अंतरण करना चाहते हैं तो ऐसे अंतरण की अनुमति अंतरिती के हितों के संरक्षण पर विचार करते हुये, कारणों का उल्लेख करते करते हुये, कलेक्टर द्वारा प्रदान की जा सकती है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी कलेक्टर स्वयं हैं, अपर कलेक्टर नहीं।

5/ उल्लेखनीय है कि धारा 158 की उपधारा (3) के भूमिस्वामियों के भू-अभिलेख, जिसमें भू-अधिकार पुस्तिका भी सम्मिलित है, में अहस्तांतरणीय अभिलिखित है। अतः ऐसे भूमिस्वामियों के जिन मामलों में धारा 165 की उपधारा 7(ख) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरण की अनुज्ञा दे दी जाती है, उनके संबंधित भू-अभिलेखों में उल्लेखित शब्द 'अहस्तांतरणीय', ऐसे आदेश के उल्लेख के संदर्भ में, विलोपित किया जाये।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-14/2019/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव 29/10/19
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(34)

Letter to Collector Unick Code

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ.16-11.../2019/सात/2 भोपाल दिनांक 14 नवम्बर, 2019

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के संबंध में मार्गदर्शन।
संदर्भः- कलेक्टर गुना का पत्र क्रमांक री.कले./2019/1789 दिनांक 14.10.2019।

कलेक्टर गुना के संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत विचाराधीन प्रकरणों के मामलों में संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में मार्गदर्शन चाहा गया है।

2/- उपरोक्त के संबंध में विधिक स्थिति यह है कि संहिता की धारा 107 की उपधारा (1) में ग्राम का नक्शा और उपधारा (2) मे सेक्टर के नक्शे मे सम्मिलित किये जाने वाले विभिन्न बिन्दुओं को उपबंधित किया गया है। उपधारा (3) में नक्शे के लिये पैमाना विहित किये जाने का प्रावधान है।

3/- जहां तक धारा 107 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के पूर्व के प्रावधान का प्रश्न है, उसमें "खेत का नक्शा" का प्रावधान था जिसे संशोधित धारा 107 में रिष्कृत रूप में रखा गया है जिसमें अधिक स्पष्टता लाने के लिये ग्राम या सेक्टर के नक्शें में समाहित किये जाने वाले सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः यह प्रावधान पूर्वानुसार 'नक्शा' से ही संबंधित है। नक्शा और खेत का नक्शा में इस प्रकार कोई विभेद नही है।

4/- धारा 107 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सर्वेक्षण संख्यांकों की सीमाओं को दर्शाने वाला नक्शा तैयार किया जाना अपेक्षित है तथा पूर्व प्रावधान में इसे ही खेत का नक्शा कहा गया था। संशोधित प्रावधान में इसे ग्राम का नक्शा कहा गया है। तैयार किया गया नक्शा ही खेत का नक्शा है और एकजाई स्वरूप में यही ग्राम का नक्शा है।

5/- जहां तक धारा 115 में अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण के प्रावधान का प्रश्न है इसमें सभी भू-अभिलेख, (केवल अधिकार अभिलेख और भू-अधिकार पुस्तिका को छोड़कर) सम्मिलित है और भू-अभिलेख धारा 114 में उल्लेखित है। धारा 114 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में धारा 107 के अधीन तैयार किये गये ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा तथा उपधारा (2) के खण्ड (क) में धारा 107 के अधीन तैयार किया सेक्टर

भू नक्शा सम्मिलित है। इस प्रकार धारा 115 में भू-अभिलेख जिसमें नक्शा भी सम्मिलित है में हुई गलती या अशुद्ध प्रविष्टि के शुद्धिकरण का प्रावधान है।

अतएव उपरोक्त विधिक उपबंधों के अनुसरण में प्रकरणवार परीक्षण किया जाकर सक्षम प्राधिकारी समुचित निर्णय लें।

13/11/19
(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ16...../2019/सात/2 — भोपाल दिनांक ..14...नवम्बर, 2019

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, कृपया विभाग एवं विभागाध्यक्ष की वेबसाईट पर अपलोड कराऐं।
2. आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, कृपया राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर कार्यालयीन उपयोग हेतु 50 प्रतियां भेजे।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2–8/2020/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2020

प्रति

जिला कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :– ई– दायरा पंजी तथा ई– वाद सूची के संधारण के संबंध में निर्देश।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 बनाये जा कर प्रभावशील किए गए हैं। उक्त नियमों के नियम 13 सहपठित नियम 110 राजस्व न्यायालयों में मामलों के पंजीयन के संबंध में हैं। उक्त नियमों के नियम 122 में राजस्व न्यायालयों की वाद सूचियां संधारित करने के प्रावधान हैं। उक्त विषयों पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार निर्देश जारी करती है:–

(क) ई– दायरा पंजी के संधारण के संबंध में

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 13 में राजस्व प्रकरण पंजीकृत किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

"**13 राजस्व न्यायालयों के आदेशों पर मामले का पंजीयन** –(1) राजस्व न्यायालय, किसी आदेश या प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से रेवेन्यू केस मैनेजमेन्ट सिस्टम में मामला दर्ज करने का आदेश दे सकेगा।

(2) नियम 8, 9, 10 या 11 के अधीन प्राप्त प्रत्येक मूल आवेदन को अनिवार्यतः रेवेन्यू केस मैनेजमेन्ट सिस्टम में मामले के रूप में पंजीकृत किया जाना है। इसके अलावा राजस्व न्यायालय भी इस नियम के अन्तर्गत रेवेन्यू केस मैनेजमेन्ट सिस्टम में कोई मामला दर्ज करने का आदेश दे सकता है।"

(2) उक्त नियमों के नियम 110 में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की प्रस्तुति और उनके पंजीकृत किए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:–

"**110 अपील के ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की प्रस्तुति और पंजीयन**– अपील के ज्ञापन अथवा पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की प्रस्तुति और उनके पंजीयन के संबंध में नियम 7 से 13 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

1012

(3) राजस्व मामलों संबंधी कार्य पंजियां और प्रविवरण के निर्देश जो कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो क्रमांक 1 की कंडिका 22 में "प्रस्तुतकारों द्वारा रखी जाने वाली पंजियां" के रूप में हैं, की उपकंडिका (1) एवं (2) निम्नानुसार है:–

" 22 राजस्व न्यायालय का प्रस्तुतकार निम्नलिखित पंजियां रखेगा:–
(1) फार्म 'आ' में राजस्व मामलों की पंजी।
(2) फार्म 'इ' में अपीलों/निगरानी/पुनर्विलोकनों की पंजी।
....."

(4) उपर्युक्त नियम 13 एवं नियम 110 (सहपठित नियम 8, 9, 10, 11 एवं 12) के परिप्रेक्ष्य में राजस्व पुस्तक परिपत्र के उक्त खंड दो क्रमांक 1 की कंडिका 22(1) व (2)) के प्रचलित प्रावधानों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाते हैं–

"(1) रेवेन्यू केस मैनेजमेन्ट सिस्टम में ही सभी मामले दर्ज/पंजीकृत किया जाना अनिवार्य होगा।
(2) राजस्व मामलों की पंजी (दायरा पंजी) फार्म 'आ' (संलग्न–3) तथा फार्म 'इ' (संलग्न–4) में रेवेन्यू केस मैनेजमेन्ट सिस्टम में ऑनलाइन संधारित की जायेगी।
(2क) उक्तानुसार सिस्टम जनरेटेट राजस्व मामलों की पंजी का प्रिन्ट लिया जा कर इसे भी हॉर्डकॉपी रूप में राजस्व वर्षवार जिल्द बनवा कर सुरक्षित रखा जायेगा।"

(ख) ई– वाद सूची के संधारण के संबंध में

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 122 में वाद–सूची, जो कि राजस्व कार्य का एक महत्वपूर्ण आधार होती है, के संधारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

"122 वाद–सूचियां– (1) राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए नियत किए गए समस्त मामले दर्शाते हुए **प्ररूप–सात** *(संलग्न–1)* में कार्यालय वाद–सूची संधारित की जाएगी और कार्यालयीन समय के दौरान आम–जन की पहुंच में रखी जाएगी।
(2) राजस्व न्यायालय अपने सूचना–पटल पर **प्ररूप–आठ** *(संलग्न–2)* में दैनिक वाद–सूची प्रदर्शित करेगा।
(3) राज्य सरकार उपर्युक्त उपनियम (1) तथा (2) में संदर्भित वाद सूचियों के संधारण और उसे आम–जन की पहुंच में रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित कर सकेगी और इसमें समय–समय पर संशोधन कर सकेगी।

(2) उपर्युक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालयों में दो प्रकार की वाद–सूचियां संधारित की जाएंगी। पहली, कार्यालय की वाद–सूची, जिसमें राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु नियत किए गए **समस्त मामले** दर्शाये जाएंगे तथा दूसरी, दैनिक वाद–सूची, जिसमें केवल उस दिनांक विशेष को नियत किए गए सभी मामले दर्शित होंगे।

38

(3) उक्त नियमों के नियम 2(1) (ग) में दी गयी परिभाषा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा से अभिप्रेत है, ई–मेल द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना।

(4) उपर्युक्त नियम 122(3) के परिप्रेक्ष्य में ई–वाद सूची संधारित करने हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–दो क्रमांक–14 के प्रचलित प्रावधानों को अतिष्ठित करते हुए उनके स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाते हैं–

"राजस्व पुस्तक परिपत्र
खण्ड दो क्रमांक 14

1. कार्यालय की वाद–सूची तथा दैनिक वाद–सूची राजस्व न्यायालयों में प्रचलित मामलों के प्रबन्धन एवं मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति, अर्थात रेवेन्यू केस मैनेजमेन्ट सिस्टम (RCMS) द्वारा ही अनिवार्य रूप से जनरेट की जाएंगी।
2. कार्यालय की वाद–सूची में रीडर द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रचलित सभी मामले अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएंगे। कोई भी मामला ऐसा नहीं होगा, जो इस वाद सूची में दर्ज किये जाने हेतु लंबित रखा गया हो। यह इन्टरनेट पर आम–जन की सुविधा हेतु उपलब्ध रहेगी।
3. सिस्टम जनरेटेट कार्यालय वाद–सूची का प्रिन्ट लिया जाकर इसे हॉर्ड कॉपी के रूप में राजस्व वर्षवार जिल्द बनवा कर सुरक्षित रखा जाएगा।
4. दैनिक वाद–सूची में उस दिनांक विशेष को नियत किए गए सभी मामले दर्शित होंगे तथा इसके सभी कॉलमों में पर्याप्त ब्यौरे दर्ज किये जायेंगे। यह न्यायालय कक्ष में अथवा उसने बाहर किसी सहज गोचर स्थान पर आम–जन हेतु प्रदर्शित की जाएगी। दैनिक वाद–सूची इस प्रकार संधारित की जायेगी कि सभी प्रकरणों में नियत तिथि को ही सुनवाई पूरी की जा सके। यदि कोई मामला किसी अपरिहार्य कारणवश, जैसे पीठासीन अधिकारी की अन्य प्रशासनिक व्यस्तता आदि, पेशी पर नहीं लिया जा सका हो, तो इसका स्पष्ट व संक्षिप्त उल्लेख ऑर्डर शीट में किया जायेगा।"

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में दायरा पंजी तथा वाद–सूचियां मैनुअली तैयार नहीं की जाएंगी, बल्कि ई–दायरा पंजी तथा ई–वाद सूची के रूप में रेवेन्यू केस मैनेजमेन्ट सिस्टम से ही जनरेट की जाएंगी।

3. उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उक्तानुसार (4)

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

1014

प्ररूप सात
(देखें नियम 122)

कार्यालय की वाद सूची

दिनांक .....

अनु. क्र.	राजस्व मामले का क्रमांक	आवेदक / अपीलार्थी के विवरण	आवेदक / अपीलार्थी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	अनावेदक / उत्तरवादी के विवरण	अनावेदक / उत्तरवादी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	कार्य जिसके लिए मामला नियत है	सुनवाई की आगामी दिनांक	कार्य जिसके लिए मामले में आगामी दिनांक नियत है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

8.

प्ररूप आठ
(देखें नियम 122)
दैनिक वाद सूची
दिनांक.....

अनु. क्र.	राजस्व मामले का क्रमांक	आवेदक / अपीलार्थी के विवरण	आवेदक / अपीलार्थी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	अनावेदक / उत्तरवादी के विवरण	अनावेदक / उत्तरवादी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	कार्य जिसके लिए मामला नियत है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 2-2-2019-सात-शा.-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-2-2019-सात-शा.7, दिनांक 18 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

8

संलग्न-3

फार्म-आ

(देखिए मध्यप्रदेश राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2-8/2020/सात/शा.7/377 भोपाल दिनांक 08/09/2020 विषय- ई-दायरा पंजी तथा ई-वाद सूची के संधारण के संबंध में निर्देश की कंडिका (4) की उपकंडिका (2))

राजस्व मामलों की पंजी (ई-दायरा पंजी)

क्र	प्रकरण क्रमांक	मामला प्रारंभ होने की तारीख	न्यायालय में मामला प्रारम्भ होने की तारीख	ग्राम तहसील बन्दोबस्त क्रमांक	पक्षों के नाम और निवास स्थान	जॉच पड़ताल और प्रतिवेदन के लिये भेजा गया मामला			(1) मामले के निपटारे के अन्तिम आदेश की और (2) मामले के नस्तीबद्ध किये जाने के आदेश की तारीख	अंतिम आदेश के स्वरूप को दर्शाते हुये संक्षिप्त टीप और वह रीति जिससे आदेश निष्पादित किया गया	आदेश सूचित करने के लिये भेजा गया अथवा प्राप्त हुआ निपटाया गया मूल मामला तथा परवाना				अभिलेख जहां अंतिम रूप से जमा किया गया हो		
						किसको भेजा गया	भेजने की तारीख	वापसी की तारीख			किसको भेजा गया अथवा किससे प्राप्त हुआ				अभिलेखपाल द्वारा प्राप्ति की तारीख भेजे जाने की तारीख	अभिलेखपाल के संक्षिप्त हस्ताक्षर अथवा उक्त कार्यालय का नाम जिसको अभिलेख भेजा गया हो	कैफियत
											मूल मामला	परवाना	भेजने अथवा प्राप्ति की तारीख	वापसी की तारीख			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13(	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

संलग्न-4

फार्म-इ

(देखिए मध्यप्रदेश राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2-8/2020/सात/शा.7/377 भोपाल दिनांक 08/09/2020 विषय- ई-दायरा पंजी तथा ई-वाद सूची के संधारण के संबंध में निर्देश की कंडिका (4) की उपकंडिका (2))

अपील, निगरानी, पुनर्विलोकन राजस्व मामलों की पंजी (RCMS दायरा पंजी)

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	प्रस्तुत करने की तारीख	तहसील और जिले के नाम सहित उस गॉव का नाम जिससे मामला संबंधित हो	संबंधित पक्षकारों के नाम और निवास स्थान	अधिनियम तथा धारा जिसके तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है	चाही गई राहत का संक्षिप्त सारांश	अंतिम आदेश का सारांश तारीख	मामले अभिलेख के नपटारे के संबंध में टीप	
								अभिलेखापाल के संक्षिप्त हस्ताक्षर	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

8101

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2–8/2020/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2020

प्रति

जिला कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :– ई– समन जारी किए जाने हेतु प्रक्रिया।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 बनाये जा कर प्रभावशील किए गए हैं। उक्त नियमों के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में "इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा" परिभाषित किया गया, जो निम्नानुसार है:–

"(ग) "इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा" से अभिप्रेत है, ई–मेल द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना।"

2/–उक्त नियमों के नियम 16 में समन जारी किए जाने का प्रावधान है, नियम 16 का उपनियम (2) निम्नानुसार है:–

"16 (2) इलेक्ट्रॉनिक रीति से जारी किया गया प्रत्येक समन राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह अपनी ओर से सशक्त करे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षरित किया जायेगा।"

3/– उक्त नियमों के नियम 19 में राजस्व न्यायालय द्वारा तामीली के माध्यमों का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:–

"19 राजस्व न्यायालय द्वारा समन की तामीली–राजस्व न्यायालय निम्न में से किसी एक या अधिक तरीकों से, जैसा कि वह ठीक समझे, समन की तामीली हेतु आदेश कर सकेगा,–
(क) व्यक्तिशः तामीली द्वारा;
(ख) रसीदी रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कोरियर सेवाओं जो नियम 22 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित है, के द्वारा; या
(ग) इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा द्वारा।"

4/ उक्त नियमों के नियम 23 में इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा द्वारा समन की तामील का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:–

"23 इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा द्वारा समन की तामील–राजस्व न्यायालय समन की तामील इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा द्वारा करने का आदेश निम्न स्थितियों में कर सकेगा,–

1019

(क) ऐसे व्यक्ति या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या विधि व्यवसायी को, जिसका ई–मेल एड्रेस राजस्व न्यायालय में पंजीकृत है, या

(ख) ऐसे संगठन को, जिसके लिए आम–जन से संसूचना प्राप्त करने के लिए ई–मेल एड्रेस घोषित करना विधि द्वारा आवश्यक किया गया है।

5/ उक्त नियमों के नियम 29 में राजस्व न्यायालय द्वारा समन की तामीली बाबत् संतुष्टि अभिलिखित करने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:–

"29 राजस्व न्यायालय समन की तामीली की संतुष्टि अभिलिखित करेगा– जब कभी भी इन नियमों के अधीन समन जारी किया गया है, राजस्व न्यायालय समन किए गए व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही करने के पूर्व स्वयं की संतुष्टि करेगा कि समन इन नियमों में विहित किसी एक या अधिक ढंग से उचित रूप से तामील किया गया था और वह अपनी संतुष्टि अभिलिखित भी करेगा।"

6/– उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ई–समन जारी करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

(1) ऐसे सभी व्यक्तियों या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं या विधि व्यवसायियों को, जिनके ई–मेल एड्रेस मामले की नस्ती में उपलब्ध हैं, अथवा ऐसे संगठन को जिसके लिए आम जन से संसूचना प्राप्त करने के लिए ई–मेल एड्रेस घोषित करना विधि द्वारा आवश्यक किए जाने से ऐसे संगठन द्वारा अपना ई–मेल एड्रेस घोषित किया गया है, राजस्व न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से ई–समन जारी किए जाएंगे।

(2) उक्त ई–समन राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह इस हेतु अपनी ओर से सशक्त करे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) ई–समन जारी किए जाने की सूचना ऐसे सभी व्यक्तियों या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं या विधि व्यवसायियों को, अथवा ऐसे संगठन को जिसके लिए आम–जन से संसूचना प्राप्त करने के लिए ई–मेल एड्रेस घोषित करना विधि द्वारा आवश्यक किए जाने से ऐसे संगठन द्वारा अपना ई–मेल एड्रेस घोषित किया गया है। जिनके ई–मेल एड्रेस राजस्व न्याायालय में उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु मोबाईल फोन नम्बर उपलब्ध हैं, राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह इस हेतु अपनी ओर से सशक्त करे, एस.एम.एस. (Short Message Service) द्वारा भेजी जाएगी। इस एस.एम.एस. में एक लिंक दी जाएगी, जिसे ओपन करने पर ई–समन देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा।

(4) इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए "उपलब्ध ई–मेल एड्रेस अथवा उपलब्ध मोबाईल फोन नम्बर" से तात्पर्य है ऐसा ई–मेल एड्रेस अथवा मोबाईल फोन नम्बर जो ऐसे व्यक्ति या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या उनके विधि व्यवसायी द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रचलित मामले के किसी प्रक्रम (स्टेज) पर उक्त न्यायालयीन प्रकरण से

संबंधित नोटिस/सूचना आदि को ग्राह्य करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया गया है, उसका ई–मेल एड्रेस अथवा मोबाईल फोन नम्बर, जिसे राजस्व न्यायालय द्वारा समन किया जाना आशयित है।

(5) राजस्व न्यायालय समन किए गए किसी व्यक्ति के उपसंजात नही होने पर मामले में आगे उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही करने के पूर्व स्वयं की संतुष्टि करेगा कि ई–समन उचित रूप से तामील किया गया था और उक्त आशय की संतुष्टि अभिलिखित भी की जाएगी।

(6) ऑफलाईन समन केवल उसी स्थिति में जारी किया जाना चाहिए, जबकि ऐसे व्यक्ति, उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या विधि व्यवसायी का न तो ई–मेल ऐड्रेस राजस्व न्यायालय में उपलब्ध हो और न ही मोबाईल फोन नम्बर अथवा उपलब्ध ई–मेल एड्रेस/मोबाईल फोन नम्बर पर प्रकरण से संबंधित नोटिस/सूचना आदि ग्राह्य करने की सहमति अभिलिखित न हो।

7/– उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक एफ 2–8/2020/सात/शा.7 भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
2. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, भोपाल
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

1021

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 2-11/2020/सात/शा.7 दिनांक 23/01/2021

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के संबंध में स्थायी निर्देश।

राजस्व विभाग की अधिसूचना एफ 2-2/2019/सात/शा.7 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 जारी किए गए हैं। उक्त नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील हो गए हैं।

2/ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 परिभाषा के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में परिभाषित किया गया है कि "इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा" से अभिप्रेत है ई-मेल द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना।

3/ अतएव् राज्य सरकार उक्त प्रावधान के अनुसरण में, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन इलेट्रानिक संदेश सेवा अंतर्गत Email Id- rcms.info@mp.gov.in से प्रेषित ई-मेल, SMS ID- MPRCMS से प्रेषित एसएमएस (SMS) तथा वाट्सएप (Whatsapp) नम्बर 9407299468 के माध्यम से प्रेषित संदेश को अनुज्ञात करती है। अत: राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया संचालन में जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, इलेक्ट्रानिक सेवा संदेश सेवा के लिए उक्त माध्यमों का उपयोग किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुजीबुरहमान खान) 23/1/2021
उप सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-11/2020/सात/शा.7 दिनांक 23/01/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागायुक्त/अपर आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैपआईटी, भोपाल।
7. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
8. समस्त तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल। कृपया निर्देश को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर प्रकाशन की 100 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

उप सचिव 23/1/2021
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

1022

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-6/2018/सात/शा-7 भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रति,

संभागायुक्त,
नर्मदापुरम संभाग
होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

विषय: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 यथा संशोधित दिनांक 27.07.2018।
संदर्भ: आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग का पत्र क्रमांक 543/राजस्व/2019 दिनांक 25.01.2019।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के द्वारा संहिता में किये गये संशोधन के उपरांत धारा 46 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अनुसार अपील के मामले में धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के किसी आवेदन को मंजूर या नामंजूर किये जाने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं किये जाने के प्रावधान के संदर्भ में सुझाव दिया गया था कि ऐसा आवेदन नामंजूर किये जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये।

3/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई पक्षकार परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के आवेदन को नामंजूर किये जाने से व्यथित होकर ऐसे नामंजूरी आदेश की न्यायिक समीक्षा चाहता है तो वह ऐसे आदेश को पुनरीक्षण में लिये जाने का आवेदन कर सकता है। पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय को भी स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के अधिकार हैं। अतः आपके सुझाव अनुसार संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक एफ 2-6/2018/सात/शा-7 भोपाल, दिनांक ..11...मार्च, 2019

प्रतिलिपि:-
1. सचिव, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर।
4. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग, भोपाल।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ।

6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ, कृपया अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के ध्यान में उपरोक्त स्थिति लायें।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Collector letter

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्र. 2–11–2020–सात–शा.7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2–क) एवं (2–ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाये गये मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 के उपनियम (4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वेबसाइट https://rcms.mp.gov.in को ऐसी वेबसाइट अधिसूचित करती है, जिस पर उक्त संहिता के अधीन राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली उद्घोषणाएं अनिवार्यतः अपलोड की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्र. एफ. 2–11–2020–सात–शा.7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2–11–2020–सात–शा.7, दिनांक 23 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd January 2021

No. F.2-11-2020-VII-Sec.7.- In excercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 31 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasav Sanhita (Rajasav Nyayalayon ki Prakriya) Niyam, 2019 made under sub-section (2-a) and (2-b) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notifies website http://rcms.mp.gov.in as the website on which proclamations issued by the Revenue Officers or Revenue Courts under said Code, shall be compulsorily uploaded.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

क्र. 2–11–2020–सात–शा.7 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),
मध्यप्रदेश.

विषयः मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के संबंध में स्थायी निर्देश.

राजस्व विभाग की अधिसूचना एफ 2–2–2019–सात–शा.7 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 जारी किए गए हैं. उक्त नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील हो गए हैं.

2. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 परिभाषा के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में परिभाषित किया गया है कि "इलेक्ट्रानिक संदेश सेवा" से अभिप्रेत है ई–मेल द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना.

3. अतएव, राज्य सरकार उक्त प्रावधान के अनुसरण में, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन इलेट्रानिक संदेश सेवा अंतर्गत Email id-rcms.info@mp.gov.inसे प्रेषित ई–मेल, SMS ID- MPRCMS से प्रेषित एसएमएस (SMS) तथा वाट्सएप (Whatsapp) नम्बर 9407299468 के माध्यम से प्रेषित संदेश को अनुज्ञात करती है. अतः राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया संचालन में जहाँ–जहाँ आवश्यक हो, इलेक्ट्रानिक सेवा संदेश सेवा के लिए उक्त माध्यमों का उपयोग किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

1025